

FORM-1
(for linear projects)
Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.

No. 3083 /DRA Dated: 29-7 2016.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of linear projects, it is certified that 0-19-32 hectares Mohal- Moch Upperla & 0-05-52 hectares Mohal- Bhadwara of forest land proposed to be diverted in favour of Additional Superintending Engineer, 220 KV Sub Stn. (ES) Division, HPSEBL Jassure in Tehsil- Fetehpur, Distt- Kangra falls within jurisdiction of Nurpur Forest Division.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-24-84 Hect. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexure 1 to 8. As per report received from Gram Panchayat & SDO (c) Fatehpur there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.


(Ritesh Chauhan IAS)
District Collector
Kangra at Dharmshala



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनेट
विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति मोहिन्द्र सिंह

दिनांक : 25/01/2015

गणपूर्ति : 138/545

प्रस्ताव संख्या 05

विषय : हि0प्र0रा0वि0प0लि0 विभाग/संस्था को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाइन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र के प्रस्तावित 0.1932 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत सुनेट की बैठक आज दिनांक 25/01/2015 को सुबह 11:00 बजे स्थान सुनेट में की गई, जिसमें हि0प्र0रा0वि0प0लि0 विभाग/संस्था को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाइन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र के प्रस्तावित 0.1932 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत का उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1932 हैक्टेयर वन भूमि को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाइन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सुनेट की सहमति दी जाती है।

Secretary

Gram Panchayat Sunet

Teh. Fatehpur (Kangra) H.P.

स्थान : सुनेट (फतेहपुर)

दिनांक : 25/01/2015

ग्राम पंचायत सुनेट

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा सुनेट

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या3.....

दिनांक: 21.09.2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा सुनेट की बैठक आज दिनांक 21.09.2015 को दोपहर 12:00 बजे स्थान सुनेट में श्री/श्रीमति सुभाष चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें वार्ड नं०-२ गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासीयों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाईन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण के निर्माण के लिए 0.1932 हैक्टेयर वन के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति का जंगल/वन क्षेत्र में के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान : सुनेट

दिनांक : 21.09.2015

सुभाष चन्द
अध्यक्ष
(वन अधिकार समिति)

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत सुनेट



दिनांक 21/09/2015

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत कुट बासी
विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री / श्रीमति सुषमा कुमारी

दिनांक 28-04-2015

गणपूर्ति : 112/549

प्रस्ताव संख्या 12

विषय : हि0प्र0रा0वि0प0लि0 विभाग/संस्था को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाईन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र के प्रस्तावित 0.0552 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत कुट बासी की बैठक आज दिनांक 28-04-2015 को सुबह 12:30 बजे स्थान कुट बासी में की गई, जिसमें हि0प्र0रा0वि0प0लि0 विभाग/संस्था को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाईन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र के प्रस्तावित 0.0552 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत का उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथ सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0552 हैक्टेयर वन भूमि को प्रस्तावित 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाईन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा कुट बासी की सहमति दी जाती है।

स्थान : कुट बासी (फतेहपुर)

दिनांक : 28-04-2015

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Fatehpur (Kangra)
ग्राम पंचायत कुट बासी



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा भदवाड़ा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 13-09-15

वन अधिकार समिति ग्राम सभा भदवाड़ा, वार्ड नंबर 7 की बैठक आज दिनांक 13-09-15 को 11:00 बजे स्थान भदवाड़ा में श्री/श्रीमति अशोक कुमार, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत कुट बासी की अध्यक्षता में की गई जिसमें भदवाड़ा और संबंधित गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासीयों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नूरपुर जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें 132KV डबल सर्किट पलौहड़ा (तह0 ज्वाली) से फतेहपुर तक टावर लाईन के टावर संख्या T-28 एवं गैन्ट्री के निर्माण के लिए 0.0552 हैक्टेयर वन के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति का जंगल/वन क्षेत्र में के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान : भदवाड़ा

दिनांक : 13-09-15

(अध्यक्ष)
वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत कुट बासी

हस्ताक्षर
दिनांक 13-09-15

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) JAWALI DISTT. KANGRA HP.

Proceeding of the meeting of Sub Division Level Committee constituted under scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Division level Committee of Jawali Sub Division, constituted under FRA- 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mohan Datt Sharma SDO (Civil) Jawali on Dated:- 15-12-2015 at 11:30 AM/ PM at Jawali in which the application (s) claiming rights in Nurpur forest areas under FRA-2006, of the following applicant (s), duly processed and recommended by the Forest Rights Committee (s) of Bhadwara and Sunet Gram Sabha (s), were discussed to consider the same for recommendation to the Distt. level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on the each application:-

No any application regarding claim were received from the Forest Right Committees of Bhadwara and Sunet villages.

Decision / Recommended / Not recommended)

- 1) After considering the resolution passed by Forest Right Committee of Bhadwara gram sabha, the Sub Divisional Level Committee hereby recommend that 0-05-52 H.M. of forest area situated in Mohal Bhadwara, Mauza Sunet Tehsil Fatehpur Distt- Kangra (HP) should be transferred in favor of HPSEB Ltd. for the erection of Tower No: 28 and Gantry for loop in loop out arrangement in respect of proposed 132 KV double circuit EHV transmission line from Village- Palauhra (Tehsil- Jawali) to proposed 132 KV Substation site at Fatehpur.
- 2) After considering the resolution passed by Forest Right Committee of Sunet gram sabha, the Sub Divisional Level Committee hereby recommend that 0-19-32 H.M. of forest area situated in Mohal Moch Uperla, Mauza Sunet Tehsil Fatehpur Distt- Kangra (HP) should be transferred in favor of HPSEB Ltd. for the erection of Tower No: 28 and Gantry for loop in loop out arrangement in respect of proposed 132 KV double circuit EHV transmission line from Village- Palauhra (Tehsil- Jawali) to proposed 132 KV Substation site at Fatehpur.
- 3) Further it is certified that no settlement claim is pending in respect of above mentioned forest areas before the Sub Division Level Committee under Forest Act/ Rule 2006.

Place: -Jawali

Date: -


SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson
Sub Division Level Committee,
Jawali Sub Division.

210 931 SDR/S Dated 18-12-2015

आज दिनांक 15-12-2015 को उपभंडल अधिकारी (ना 0) जवाली
 स्वयं अवलोकित। लजापति उपभंडल स्तरीय नैपेटी जवाली उपभंडल
 की अवलोकन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
 अनापति प्रमाण पत्र जारी करने नारा बैंक का अपेक्षानुसार
 गंगा निजमें निम्नलिखित अधिकारियों। निम्नलिखित आशय लिखा।

क्रमांक	नाम अधिकारी / निदेश	पद
1	श्री अनूप चौधरी / निदेश	कार्यकारी अधिकारी
2	श्री अनूप चौधरी / निदेश	निदेश
3	श्री अशोक कुमार झा / निदेश	निदेश
4	श्री सुरेश कुमार झा / निदेश	निदेश
5	श्री अशोक कुमार झा / निदेश	निदेश

बैंक में सन सम्मति से चव निम्नलिखित गंगा
 कि 132KV डबल फेज EHV ट्रांसमिशन लाइन के स्वर
 लयगा T-28 एवं गैन्ट्री बैनिसि है। जव दित में अमिके उपभोग
 के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण
 पत्र दिनांक जारी किया है।

बैंक के किमी भी लवाम डाल उपभोग
 प्रमाण है। विले गले प्रमाण। प्रमाण पत्र जारी किमी भी
 प्रकार की आपति दर्शन की गई है। तथा प्रमाणित हो की
 वन अधिकार समिति को द्वारा उपभोग अधिनियम के अन्तर्गत
 कोई भी दावा प्रारंभ नहीं है।

अतः वन लयति से उपभोग निम्न
 लयति के प्रमाण स्वीकार किया जाता है।

श्री अनूप चौधरी
 निदेश

श्री अशोक कुमार
 निदेश

श्री अशोक कुमार
 निदेश

श्री सुरेश कुमार
 निदेश

श्री अशोक कुमार
 निदेश

श्री अशोक कुमार
 निदेश

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
दिनांक 21.07.2016 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट
2006 के अन्तर्गत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 21.07.2016 को श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1 सहायक अरण्यपाल वन धर्मशाला व पालमपुर	सदस्य
2 वन मण्डल अधिकारी देहरा, नूरपुर	सदस्य
2 श्री गगन सिंह	सदस्य
3 श्री मति गायत्री कपूर	सदस्य
4 श्रीमति अनीता देवी	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु उक्त एक्ट के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले आवेदन उपमण्डल स्तरीय कमेटी धर्मशाला, पालमपुर, देहरा नूरपुर, फतेहपुर, ज्वाली बैजनाथ से आवेदन प्राप्त हुए।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वाली से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 लिंग रोड मण्डोल चघियां राजा का तालाब
- 2 अमनी धार मण्डोल वेही पठियार

उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 लिंग रोड वोह से शिवनगर नाला नूरपुर खुशीनगर।
- 2 अमनी धार मण्डोल वेही पठियार
- 3 पर्यटन स्वागत केन्द्र के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

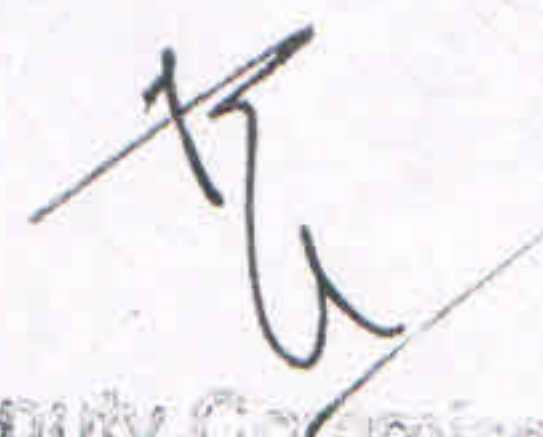
- उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-
- 1 लिंक रोड वरनाली से अपर नाली वाया लोअर नाली।
 - 2 लिंक रोड स्वान खड्ड से कानपुर वाया रनोह।
 - 3 लिंक रोड देहरा घाटी से साण्डा हरिजन वस्ती
 - 4 पुलिस चौकी के निर्माण हेतु।
 - 5 सैनिक आरामघर के निर्माण हेतु।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 लिंक रोड भितलू से चमयारा।
- 2 लिंक रोड वासा से मच्छलैनी।
- 3 लिंक रोड टल माता से जुणैणा।
- 4 लिंक रोड सिरमणी से वड़ज।
- 5 लिंक रोड भरयाल से हरनेरा।
- 6 लिंक रोड भरनौली से मनयाड़।
- 7 कपेडिया से धलोह वाग सराहं।
- 8 लिंक रोड ललेटी से गांव भानू महादेव।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर से लिंगटी हाईडो प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ से रानीताल हाईडो पावर प्रा0 लि0 मैगावाट के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।


 Deputy Commissioner
 Kangra at Dharamshala

उपमण्डल अधिकारी(ना0) फतेहपुर से टावर संख्या-T-28 एव गैन्टी के निर्माण हेतु। आवेदन प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त सभी मामलों का कमेटी द्वारा ध्यानपूर्वक देखा गया जिसमें निम्नलिखित मामले सही पाये गये:-

- 1 रानीताल हाईड्रो पावर प्रा0 लि0 मैगावाट के निर्माण हेतु।
- 2 पर्यटन स्वागत केन्द्र के निर्माण हेतु।
- 3 सैनिक आरामघर के निर्माण हेतु।
- 4 लिंक रोड ललेटी से गांव भानू महादेव।
- 5 टावर संख्या-T-28 एव गैन्टी के निर्माण हेतु।

इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में ग्राम सभा प्रस्ताव में प्रधान के हस्ताक्षर हैं तथा कुछ मामलों में केवल सचिव के ही हस्ताक्षर हैं तथा कुछ मामलों में वन अधिकार समिति के हस्ताक्षर न हैं जो निम्नलिखित हैं:-

- 1 लिंक रोड भितलू से चमयारा ।
- 2 लिंक रोड वासा से मच्छलैनी ।
- 3 लिंक रोड टल माता से जुणैणा ।
- 4 लिंक रोड सिरमणी से वड़ज ।
- 5 लिंक रोड भरयाल से हरनेरा ।
- 6 लिंक रोड भरनौली से भनयाड़ ।
- 7 लिंक रोड कपेडिया से धलोह वाग सराह ।
- 8 लिंक रोड वरनाली से अपर नाली वाया लोअर नाली ।
- 9 लिंक रोड कपेडिया से धलोह वाग सराह ।
- 10 लिंक रोड स्वान खड्ड से कानपुर वाया रनोह ।
- 11 लिंक रोड देहरा घाटी से साण्डा हरिजन वस्ती ।
- 12 लिंक रोड वोह से शिवनगर नाला नूरपुर खुशीनगर ।
- 13 लिंक रोड अमनी धार मन्डोल वेही पठियार ।
- 14 लिंक रोड मन्डोल चवियां राजा का तालाब ।
- 15 पुलिस चौकी के निर्माण हेतु ।
- 16 लिंक रोड हाईड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु ।

अतः उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। सभी सदस्यों द्वारा उक्त मामलों सर्वसम्मति से पारित किये गये। तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया।

स्थान—धर्मशाला

दिनांक - जुलाई, 2016

(रिश्तेश चौहान, भा0 प्र0 सी0)
उपायुक्त कांगड़ा एव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या 3084-89/डी0आर0ए0 दिनांक: 30/7/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- 2 सहायक अरण्यपाल वन पालमपुर, धर्मशाला।
- 3 वन मण्डल अधिकारी नूरपुर, देहरा।
- 4 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वाह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा
- 5 श्रीमति गायत्री कपूर सी-41 धौला क्लानी वडोल नजदीक (आई.टी.आई)
- 6 दाडी तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।
- 7 श्री मति अनीता देवी गांव व डा0 चढियार तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा।

अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा
स्थित धर्मशाला